Registration of OBC candidates in Employment Exchanges in Delhi

6328. SHRI GHUFRAN AZAM:

SHRI JANARDAN YADAV:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Director General Employment and Training has not issued instructions to the Employment Exchanges functioning in Delhi/New Delhi for registration of the candidates belonging to Other Backward Classes in civil posts and services under Government of India;

(b) if so, why the concerned Sub-Regional Employment Officers are taking plea that Government instructions on this issue are still awaited;

(c) the action contemplated in the matter; and

(d) how many vacancies in Group 'D' post of OBC are lying pending in Curzon Road Sub-Regional Employment Exchange, Delhi which belong to Central Government departments?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) As per instructions to all the employment exchanges, all citizens of India resident in the country are eligible for registration at the employment exchanges for employment assistance.

(b) and (c) Does not arise.

(d) 48 vacancies.

बीड़ी मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधायें

6329. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी मजदूरों को अपर्याप्त चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की आवास समस्या को हल करने में अभी तक भी वांछित प्रगति नहीं हो पायी है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उत्तर प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की समस्याओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाय जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :(क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) से (ङ) बीड़ी कमकारों के लिए अपना मकान स्वंय बनाओं योजना (बी.वाई.ओ.एच.) के अंतर्गत मकान बनाने के लिए बीड़ी कर्मकारों की बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि स 1000/–रु. की आर्थिक सहायता तथा 6000/–रु. ब्याज मुक्त ऋण की अदायगी की जाती है । पात्रता के लिए शर्त यह है कि बीड़ी कर्मकार के पास वैयक्तिक रूप से अपने परिवार के साथ संयुक्त रुप से अपने मालिकाना हक वाली 60 वग गज भूमि का कब्जा होना चाहिए । अब आर्थिक सहायता के संघटक तथा ब्याज मुक्त ऋण को बढ़ाकर क्रमश: 3 000/– रु. तथा 10,000/– रु. किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

आर्थिक रुप मे कमजोर वर्गो (ई डब्ल्यु०एस.) के लिए आवास योजना के अंतगत जिन मामलों में राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा भूमि आबंटित की जाती है उनमें बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से 5,000/– रु. की आर्थिक सहायता अथवा वास्तविक व्यय का 50% जो भी कम हो, जमा साधारण/काली कपास अथवा उभरी मिट्टी के लिए 800/–रु. 1,000/ रु. की दर से भूमि विकास प्रभार का भुगतान किया जाता है । अब कुल मिलाकर 9,000/– रु. अथवा वास्तविक व्यय का 50% जो भी कम हो, का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है ।

अपना मकान स्वयं बनाओ योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में 83 बीड़ी कर्मकारों को ऋण प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की गयी है ।

Defaulting establishments protected by RPFC, Delhi

6330. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of defaulting establishments have been protected by the them Regional Provident Fund Commissioner, Delhi to serve his own interest;

(b) whether the files of M/s. Skipper and M/s. Grandlay were kept pending for 18 to 24 months and no action was initiated;

(c) whether it is also a fact that such acts of the R.P.F.C. have violated the rules etc.; and

(d) if so, whether Government propose to investigate into the financial scandals in the R.O. Delhi and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Posts sanctioned in Delhi Regional Office of BPF Organisation

6331. SHRI GHUFRAN AZAM; Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the total number of posts sanctioned in Delhi regional office of the BPF Organisation with break up of PF, EPF, EDLI computer etc.;

(b) what is the present position of the posts in different cadres from Class IV to Class I;

(c) whether the vacant posts are to be filled up as per the Central Administrative Tribunal order of the principal bench and whether some posts of computer consisting the pay scale of Rs. 1600-2660 have been illegally filled up by promoting the persons in the scale of 1640/-;

(d) if so, the reasons thereof; and

(e) whether Government will issue the instructions to reverse the position and implement the CAT order and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

देश में बाल श्रमिक

6332. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या श्रम मंत्री 20 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 2445 और 2449 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आज की तारीख तक बाल श्रमिकों की संख्या का पता लगाने के लिए राज्यवार कोई सर्वेक्षण करवाया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में बाल श्रमिकों की राज्यवार संख्या क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) प्रमाणिक ब्यौरे दस वर्षीय जनगणना के माध्यम से प्राप्त होते हैं । 1981 की जनगणना के अनुसार देश में राज्यवार बाल श्रमिकों की संख्या दर्शानेवाला विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)** 1991 की जनगणना के आंकड़े अभी प्रकाशित किए जाने हैं ।